

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

क्रमांक एफ()एफसीए/मुवस/2020/ 5045
निमित्त :

दिनांक : 23/9/2020

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन)
एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर

विषय :- Development of Emergency Landing Facility on National Highway No. 11 (old NH-15) From Km 229+400 to km 234+400 (old km 194+600 to km 199+600) of Jaisalmer-Phalodi section, in the state of Rajasthan. proposal No. FP/RJ/ROAD/42816/2019

Area Applied (Ha.) 6.8 ha.

संदर्भ :- श्रीमान के कार्यालय का ईडीएस दिनांक 4-8-2020 एवं उप वन संरक्षक, जोधपुर का पत्रांक 6843 दिनांक 18-9-2020 एवं उप वन संरक्षक, जैसलमेर का पत्रांक 3823 दिनांक 18-9-2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलोच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में श्रीमान के कार्यालय द्वारा अंकित ईडीएस दिनांक 4-8-2020 की पूर्ति संबंधित उप वन संरक्षकों द्वारा संदर्भित पत्रों से की जाकर इस कार्यालय को प्रेषित किया है, विवरण निम्नानुसार है :-

No.	EDS	Reply/Compliance
1	CA amount is charged by DCF Jodhpur then why DCF Jaisalmer charged CA amount for 3.00 ha.	CA scheme for 13.60 ha. DFL which is double the total diverted land ie 6.80 ha is charged by Dcf Jodhpur so, DCF Jaisalmer has been removed CA scheme and amount from the proposal.
2	Why medicinal plants scheme is given by DCF Jaisalmer	Medicinal plants scheme is Removed by DCF Jaisalmer.
3	TOPO sheet uploaded by DCF Jodhpur is not as per scale 1:50000.	Revised toposheet uploaded by DCF Jodhpur.
4	NH protected forest notification uploaded by DCF Jodhpur is not clear	Clear copy of NH protected forest notification is uploaded.

ईडीएस का प्रत्युत्तर उपरोक्तानुसार प्रस्तुत है।

भारतीय
(एस. आर. वी. मूर्ती)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
जोधपुर
दिनांक :

क्रमांक एफ()एफसीए/मुवस/2020/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप वन संरक्षक, जोधपुर/जैसलमेर।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय एनएचएआई जयपुर
3. महा प्रबन्धक, पीआईयू, एनएचएआई, बीकानेर
4. प्रबन्धक (तकनीकी) पीआईयू, एनएचएआई बीकानेर

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
जोधपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, जैसलमेर

क्रमांक एफ () तकनिकी/उवसं/2020-21/3823
निमित्त,

दिनांक : 18/09/2020

श्रीमान मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

विषय :- Development of Emergency Landing Facility from Km 229+400 to km 234+400 (old km 194+600 to km 199+600) of Phalodi-Jaisalmer Section of NH-11 (old NH-15), in the State of Rajasthan Proposal No. FP/RJ/ROAD/42816/2019 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव बाबत।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक 4839-40 दिनांक 18.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में निवेदन हैं कि Development of Emergency Landing Facility from Km 229+400 to km 234+400 (old km 194+600 to km 199+600) of Phalodi-Jaisalmer Section of NH-11 (old NH-15) in the State of Rajasthan-Submission of Forest Proposal में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव इस कार्यालय द्वारा प्रपत्र-11 की पूर्ति उपरांत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये थे। जिसमें श्रीमान अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नॉडल अधिकारी, एफसीए. राजस्थान जयपुर द्वारा अपने ईडीएस दिनांक 04.08.2020 द्वारा कमिया/आक्षेप अंकित किये गये थे, जिसकी पूर्ति कर इस कार्यालय द्वारा दिनांक 04.09.2020 को ईडीएस किया गया है। आपके उक्त प्रासांगिक पत्र द्वारा पुनः इस कार्यालय के ध्यान में लाया गया है कि इस कार्यालय द्वारा बनाई गयी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना (CA Scheme) को विलोपित करने एवं औषधीय पौधों के लिये टिप्पणी चाही गयी है। जिसके क्रम में निवेदन हैं कि :-

1. यह प्रकरण दो जिलो जैसलमेर एवं जोधपुर से संबंधित हैं। इसलिये पूर्व में इस कार्यालय द्वारा जैसलमेर जिले में 0.2894 हैक्टर प्रत्यावर्तन एवं 74 पौधों की कटाई के हिसाब से 10 गुणा पौधे यानि 740 पौधों के लिये 3 हैक्टर की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना (CA Scheme) बनाकर ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रेषित की गयी थी। लेकिन वन मण्डल जोधपुर द्वारा प्रकरण में जोधपुर एवं जैसलमेर जिले से संबंधित क्रमशः 6.5106 हैक्टर, 0.2894 हैक्टर कुल 6.8 हैक्टर प्रत्यावर्तन हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना (CA Scheme) नियमानुसार दुगुने क्षेत्र 13.60 हैक्टर में बनाकर पूर्व में ही ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रेषित की जा चुकी है। अतः इस कार्यालय द्वारा बनाई गयी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना (CA Scheme) को ऑनलाईन एवं ऑफलाईन संशोधन कर विलोपित कर दिया जावेगा।
2. मेडिसनल प्लान्ट योजना इस प्रकरण में लागू नहीं होती है। पूर्व में सहवन से प्रस्तावित कर दी गयी थी, जिसमें ऑनलाईन एवं ऑफलाईन संशोधन कर विलोपित कर दिया जावेगा।

रिपोर्ट श्रीमानजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

भवदीय

(जी.के.वर्मा)

IFS

उप वन संरक्षक,
जैसलमेर

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिशनर ऑफिस के सामने, नर्सरी लोकसावेल फोन नं. 0291-2636753 ई-मेल: dfojodhpur@gmail.com

क्रमांक: एफ (115)एफ.सी.ए/उवसं/2020/ 6843

दिनांक: 18/09/2020

✓ श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर।

विषय:- Development of Emergency Landing Facility from Km 229+400 to km 234+400 (old km 194+600 to km 199+600) of Phaiodi -Jaisalmer section, of NH 11 (old NH-15 in the state of Rajasthan. Submission of Forest Proposal-reg. वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या No. FP/RJ/ROAD/42816/2019, Area Applied 6.8 ha.)

संदर्भ:- आनलाइन आक्षेपों की पूर्ति बावत्।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में निवेदन है कि उक्त प्रकरण में आपके कार्यालय द्वारा लगाये गये आनलाइन आक्षेप दिनांक 05.08.2020 की अनुपालना में सादर संलग्न प्रेषित है:-

क.सं.	आक्षेप का विवरण	आक्षेपों की पालना में	विशेष विवरण
1.	CA amount is charged by DCF, Jodhpur then why DCF, Jaisalmer charged CA amount for 3.00 ha.	जोधपुर वन मंडल के भूमि प्रत्यावर्तन के 6.8 हैक्टेयर का नियमानुसार दुगुनें अवनत वन क्षेत्र का ही प्रस्तावित किया गया। अतः जैसलमेर को 3.00 हैक्टेयर CA प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है।	
2.	Why medicinal plants scheme is given by DCF, Jaisalmer.	आज दिनांक 16.09.2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने उप वन संरक्षक, जैसलमेर को दुरभाष से अवगत करा कर आक्षेप की पूर्ति करने हेतु सूचित कर दिया गया।	
3.	TOPO sheet uploaded by DCF, Jodhpur is not as per scale 1/50000.	1/50000 स्केल के अनुसार नक्शा की टोपो शीट संलग्न की जा रही है।	
4.	NH protected forest notification uploaded by DCF, Jodhpur is not clear.	रक्षित वन के नोटिफिकेशन की साफ कॉपी अपलोड कर दी गई है।	



भवदीय
फि
(मुकेश सैनी)
उप वन संरक्षक
जोधपुर
दिनांक:

क्रमांक:सम/

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सी-38, सादुलगंज, बीकानेर (राजस्थान)-334002.

20
उप वन संरक्षक
जोधपुर